अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

246/2023/225 रि बुन्दुशाह बनाम फकरु (मृ) लाली

तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2023/246

पेशी श्री अजीतसिंह राठौड़ श्री

बुन्दुशाह बनाम फकरू (मृ) लाली (मृ)शाहरूख वगैरह (246/2023)

16.8.23 पत्रावली सुनवाई प्रार्थना–पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अधिकतम 6 माह में निर्णय बाबत् प्रावधान होनेके बावजूद विगत 20 वर्षो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है जिसकी आड़ में अपीलांट को बेदखल किया जाकर रेस्पोडेन्टस जबरन अतिक्रमण करने एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने पर सख्त आमादा है, जिसमें यदि वे सफल हो गए तो अपीलांट वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में निहित अपने 1/4 हिस्से की आराजीयात से महरूम हो जायेगा। जिससे अपीलांट को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की पुश्तैनी आराजीयात है जो सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं वंशावली से स्वयं सिद्ध है लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की आड़ में वादग्रस्त भूमि वर्किंग जमाबंदी में तन्हा रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज हो जाने के कारण अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात एवं इसकी मुआवजा राशि से महरूम किया जा रहा है, जो कतई न्यायोचित नहीं है वरन चौसाला रिकार्ड के मुताबिक प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में होना सिद्ध है। बन्दोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टि परिवर्तित करने का कोई क्षेत्राधिकार निहित नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात में चौसाला रिकार्ड के मुताबिक अपीलांट के हक, अधिकार एवं स्वत्व निहित होना स्वयं सिद्ध होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं रहन,बेचान, मुन्तकिल तथा भूमि की शक्ल परिवर्तित करने एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने से पाबंद फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील मीमो व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बन्दोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टि परिवर्तित करने का कोई क्षेत्राधिकार निहित नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात में चौसाला रिकार्ड के मुताबिक अपीलांट के हक, अधिकार एवं स्वत्व निहित है। हालांकि विवादित आराजी बाबत् हक–हकूक तो वाद पत्र में बाद साक्ष्य व सुनवाई के तय होगें किन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में पाया जाने से तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विगत 20 वर्षो से विचाराधीन रखे जाने के बाद भी अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं किये जाने से प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं रहन, बेचान व मुन्तकिल नहीं करने तथा भूमि की शक्ल परिवर्तित करने एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने से पाबंद किया जाना उचित समझते है, चुँकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को

लगातार

CamScanner

अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225 अपील ... बनाम ...

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2023/246 श्री अजीत सिंह राठौड़ श्री	

प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण 60 दिवस में करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में अंकित वादग्रस्त आराजीयात बाबत् मुआवजा राशि प्राप्त करने, रहन, बेंचान व मुन्तकिल नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखनें एवं अपीलांट के 1/4 हिस्से की हद तक भूमि की शक्ल परिवर्तित करने से पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतःनिष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(हस्ताक्षर)
अपील प्राधिकारी
अजमेर

CS CamScanner